न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 52/2013 वाद निर्णय दिनांकः 29.8.22

1.श्री किशोरदास पिता गिरधारी दास आयु वयस्क जाति वैरागी निवासी अम्बावली
2.श्री किशनदास पिता गिरधारी दास आयु वयस्क जाति वैरागी निवासी अम्बावली
वादीगण

।।बनाम।।

1.श्री कमलदास पिता जमनादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
2.श्री अमृतदास पिता जमनादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
3.श्री रामचन्द्र पिता जमनादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
4.श्रीमति लीलाबाई पिता जमनादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
5.श्रीमति रामबाई पिता जमनादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
6.श्रीमति सीताबाई पत्नि जमनादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
7.श्री नारायणदास पिता बद्रीदास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी अम्बावली
8.श्री राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार साहब बड़ीसादड़ी
–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि यह मोजा अम्बावली पटवार हल्का किरतपुरा की आराजी नम्बर 202/1 रकबा 5 बिस्वा लगानी पैसा वाके में स्थित होकर आराजी शामलाती खातेदारी में दर्ज है उक्त आराजी आबादी के नजदीक होकर किमती है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रुपये काबीज है लेकिन विधिवत बटवाड़ा नहीं हुआ है इसलिए वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का शामलाती 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 स 6 का शामलाती 1/4 हक हिस्सा तथा जमनादास द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय करने से प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हक हिस्सा इसी हक हिस्से अनुसार बटवाड़ा कराया जाकर आराजी अलग–अलग खातेदारी में अंकित कराई जावें दोराने दावा वादीगण के हक हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावें तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावें। अतः निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादीगण शामलाती 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का शामलाती 1/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 का 1/4 हक हिस्सा इसी अनुसार बटवाड़ा कराया जाकर लगान की

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

फाटनी कराई जावें। व दोहाराने दावा वादीगण के हक हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावें तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 व 07 की ओर ये अधिवक्ता जगदीश प्रसाद वैष्णव ने अधिकार पत्र के साथ जवाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम पेश किया। आदेशिका दिनांक 09.11.2007 के अनुसार वकील वादी द्वारा वाद पत्र को आगे नही चलाने का निवेदन किया जाने से वाद पत्र की कार्यवाही समाप्त की गई। प्रतिवादीगण क्रमांक 1, 2, 3, 6, 7, क्रमशः कमलदास, अमृतदास, रामचन्द्रदास, श्रीमति गीताबाई, नारायणदास वैरागी निवासीयान अम्बावली की और से जवाब दावा सह काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वर्णित आराजी नबंर 202/1 रकबा 5 बीघा भूमि व अम्बावली तहसील बड़ीसादडी में स्थित होकर उपरोक्त आराजी वर्तमान में उक्त खातेदारी में दर्ज है उक्त आराजी आबादी के नजदीक व किमती होकर वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध या सरोकार नहीं है तथा वादीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी एवं पुश्तैनी घर गुवाड़ी का वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 के पिता व पति जमनादास ने मिल कर आपसी तौर पर आपसी सहमति से दिनांक 27.6.1963 को बटवाड़ा कर एक लिखापढ़ी बही में निष्पादित कर दी व यह तय किया कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी नंबर 202 बाड़ा वाली जमीन में कोई हक हिस्सा नहीं रहेगा तथा इस भूमी के हक हिस्सा पेटे वादीगण के पुश्तैनी घर मे प्रतिवादी नंबर 1 से 6 के पिता व पति जमनादास का हिस्सा वादीगण के रहेगा। इस प्रकार पुश्तैनी मकान केवल वादीगण के हिस्से में रहेगा। व वादग्रस्त आराजी जमनादास प्रतिवादी नंबर 1 से 6 के पिता व पति की रहेगी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रति वादी जमनादास का 3/4 हिस्सा रहेगा शेष हिस्सा 1/4 भैरूदास के रहेगा। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी के पिता व पति वादग्रस्त भूमि व पुश्तैनी मकान पर सन् 1963 से काबीज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर पक्के व कच्चे मकान बना कर पिछले 50 वर्षों से काबिज चले आ रहे इसलिये वादीगण वादग्रस्त आराजीयात का बटवाड़ा कराने व वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। तथा खातेदार भैरदास ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नंबर 7 को विक्रय करने से प्रतिवादी नंबर 7 उक्त हिस्से पर काबीज है तथा नारायणदास भी अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर मकान बना कर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है। जमनादास ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नंबर 7 विक्रय नहीं किया है बल्कि भैरूदास ने बेचा है। जबकि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा ही न हीं है तथा मौके पर बटवाडा करने संबंधी कोई बात ही नहीं हुई तो वादीगण को कोई वाद कारण ही पैदा नहीं होता है। कि वादपत्र की चरण संख्या 6 व 7 में वर्णित तथ्यों के जवाब की आवश्यकता नहीं है तथा

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण वादपत्र की अनुतोष की उपचरण क, ख, ग, में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं है।ओर विशेष कथन किया कि वादीगण ने खाता संख्या 54 को समस्त खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। इनको पक्षकार बनाये बिना वादपत्र वादीगण आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दुषित होने से खारीज होने योग्य है। ओर काउन्टर क्लेम में इस आशय का पेश कि खाता संख्या 54 की आराजी नंबर 202/। रकबा 5 बिस्वा लगानी 12 पैसा मौजा अम्बावली तहसील बड़ीसादडी में स्थित है यह आराजी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी नंबर 1 से 6 तक का 1/4 हिस्सा तथा भंवरदास, बालूदास, मुन्नादेवी पिता भैरूदास के नाम पर 1/4 हिस्सा दर्ज है।वादग्रस्त आराजी नंबर 202/। का वादीगंण का 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण ने आपसी सहमति से बटवाडे में प्रतिवादी नंबर 1से 6 के पिता व पति जमनादास के हिस्से में रख कर उनको कब्जा दे दिया, जिसके साक्ष्यस्वरूप आपसी लिखापढ़ी भी वादीगण ने गवाहान के समक्ष प्रतिवादीगण की बही में दिनांक 27.6.1963 को निष्पादित कर दी। तब से ही वादीगण के 1/2 हिस्से व प्रतिवादीगण नंबर 1 से 6 के 1/4 हिस्से की भूमि को मिलाते हुए कुल 3/4 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नंबर 1 से 6 काबीज हो मकानाता बना कर पिछले करीब 50 वर्षों से परिवार सहित निवास कर रहे हैं अतः वादग्रस्त आराजी नंबर 202/। में प्रतिवादीगण का 3/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में प्रतिवादी का शपथ पत्र पेश है। अतः प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र खारीज फरमाया जावें एवं प्रविादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी नंबर 202/1 में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का 3/4 हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुसार आराजी प्रति वादीगण 1 से 6 के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6, 7 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब वादीगण की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत कि काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि आ0 न0 202/1 में वादीगण का शामलाती 1/2 हक हिस्सा प्र0न0 1 से 6 का शामलाती 1/4 हक हिस्सा है तथा प्र0 न0 7 का 1/4 हक हिस्सा है बकाया तथ्य स्वीकार नहीं है। काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि आराजी न0 202/1 वादीगण द्वारा अपना 1/2 हक हिस्सा प्र0 न0 1 से 6 के पिता व पति जमनादास को अपनी सहमति से बटवाडें कभी नहीं दिया व न ही प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबीज है बल्कि वादिगण अपने 1/2 हक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबीज होकर न ही ऐसी बंटवाडे की कोई लिखापढ़ी वादीगण के द्वारा जमनादास के पक्ष में निष्पादित ही की थी। बकाया तथ्य उक्त क्लेम प्रतिवादीगण द्वारा मनगढत अंकित किए है जो स्वीकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण घोषणा करने के अधिकार नहीं है।अतः काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सव्यय निरस्त फरमाया जाकर वादीगण का बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

साक्ष्य काउन्टर क्लेम में कमलदास, मनोहर दास, भंवरसिह,के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का ईस्तदुआ की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की नकल से यह तथ्य भली भांति सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् पुश्तैनी पेतृक होना राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना साबित हैं वादग्रस्त आराजी नंबर 202/1 का वादीगण का 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण ने आपसी सहमति से बटवाडे में प्रतिवादी नबंर 1से 6 के पिता व पति जमनादास के हिस्से में रख कर उनको कब्जा दिया जाना, जिसकी साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श 1ए के अनुसार आपसी लिखापढ़ी भी वादीगण ने गवाहान के समक्ष प्रतिवादीगण की बही में दिनांक 27.6.1963 को निष्पादित की गई है वादी कि उपस्थिति में एवं मौतबिरान व्यक्तियों की मौजुदगी में पारिवारिक बंटवारा कि लिखतम की जाकर जायदाद का बंटवारा किया जाना शपथ पत्रों से बखूबी साबित किया गया है। जहां पर पारिवारिक आपसी सहमति से बंटवारा हो जाता है तो इस प्रकार के पारिवारिक समझोतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस वाद में वादी को प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पेश करने की पुर्णतया जानकारी होना फीर कोई आपति नही करना जिससे यह तथ्य सिद्व होता हैं कि वादी अपना वाद पत्र विड्रा नही करते बल्कि वाद समाप्ति तक अपना वाद विभाजन कराने तक सिद्व कराते। यहा पर वादग्रस्त आराजी पारिवारिक समझौता अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काउन्टर क्लेम सिद्व करने में प्रतिवादीगण पूर्णतया सफल रहे हैं। इसलिए अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा अम्बावली की आराजी नंबर 202/1 में प्रतिवादीगण 1 से 6 का 3/4 हिस्सा घोषित किया जाता हैं। इसी आशय का पर्चा डिग्री अलग से बनाया जावें।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी